संख्या: 566/68/-5-2020

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 23 जून, 2020

विषयः **समग्र शिक्षा के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर 'शिक्षक संकुल' के गठन व कार्य-दायित्व के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-123/68-5-2020, दिनांक 17 मार्च, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समग्र शिक्षा के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर 'शिक्षक संकुल' के गठन व कार्य-दायित्वों के संबंध में निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा पा रहे छात्र-छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियों में प्रतिकूल प्रभाव (Regression) ना पडे, इस हेतु शासनादेश संख्या-123/68-5-2020, दिनाक 17 मार्च, 2020 के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-3 ''शिक्षक संकुल के सदस्यों की चयन प्रक्रिया'' के संबंध में प्राविधानित व्यवस्था को सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत संशोधित किया जाता है :-

'शिक्षक संकुल' के सदस्यों की संशोधित चयन प्रक्रियाः-

यह महत्वपूर्ण है कि न्याय पंचायत के विद्यालयों से पाँच उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों/ प्रधानाध्यापकों का चयन 'शिक्षक संकुल' के लिये किया जाये। 'शिक्षक संकुल' के सदस्यों के चयन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाये-

- शासनादेश में उल्लिखित 'शिक्षक संकुल' चयन प्रक्रिया के आधार पर जनवरी से मार्च 2020 के मध्य एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (ARP) द्वारा संबंधित न्याय पंचायत के विद्यालयों में भ्रमण के दौरान पाँच सबसे अच्छे व बेहतर कार्य करनेवाले शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों की पहचान की जाये।

अथवा

'शिक्षक संकुल' के चयन हेतु निम्नलिखित मानक का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

- कोविड-19 के कारण विद्यालय बन्द होने के दौरान जिन शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों द्वारा ''मिशन प्रेरणा की ई-पाठशाला'' के अंतर्गत बच्चों का व्हाट्सअप ग्रुप बनाकर निरन्तर आनलाईन टीचिंग किया जा रहा है।
- व्हाट्सअप के माध्यम से बच्चों को ई-कन्टेन्ट/एक्टिविटी पोस्टर/आओ अंग्रेजी सीखें इत्यादि शैक्षिक कार्यक्रमों को बच्चों को निरन्तर उपलब्ध कराया जा रहा है एवं यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बच्चों द्वारा ई-कन्टेन्ट को हल किया जा रहा है तथा सुना जा रहा है।
- आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रमों को सुनने के लिये बच्चों एवं अभिभावकों को प्रेरित किया जा रहा है तथा लगातार फालोअप किया जा रहा है।
- आनलाईन शिक्षक ओरिण्टेशन कार्यक्रम में उक्त शिक्षक/प्रधानाध्यापक द्वारा बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया जा रहा है।

- दीक्षा एप की डाउनलोडिंग एवं प्रयोग में स्वयं के साथ-साथ अन्य शिक्षकों को भी प्रेरित किया जा रहा है।
- जिस स्कूल में शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियुक्त है, उस विद्यालय से आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में बच्चों द्वारा प्रतिभागिता की जा रही है।
- गुणवत्ता में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये शिक्षक/प्रधानाध्यापक को पूर्व के वर्षों में जनपद/राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया हो।
- जनपद एवं ब्लाक स्तर के माड्यूल लेखन तथा शिक्षक प्रशिक्षण में संदर्भदाता के रूप में सक्रिय प्रतिभागिता की गयी हो।

3- उक्त मानक के आधार पर एकेडमिक रिसोर्स पर्सन द्वारा ऐसे शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों को चिन्हित कर एक सूची बनायी जायेगी, जिनके द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिये पूरी लगन एवं साथ कार्य किया जा रहा है तथा उनके विद्यालय एवं बच्चों का प्रदर्शन सामान्यतः उत्कृष्ट पाया गया है। ऐसे शिक्षकों की न्याय पंचायतवार सूची बनाकर प्रत्येक नाम पर विश्लेषण करते हुए शिक्षक संकुल का चयन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके लिये पूर्व का वीडियो/शैक्षणिक गतिविधियों के फोटो/प्रमाण पत्र/शिक्षक का परफारमेंस इत्यादि को आधार बनाया जा सकता है।

4- उपर्युक्त के अनुसार शिक्षक संकुल के चयन हेतु सूची एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (ए0आर0पी0) द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित की जायेगी। तदनुसार खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षणोपरान्त प्रस्तावित सूची अनुमोदित की जायेगी। उक्त निर्देशों का पालन करते हुए जनपद के समस्त न्याय पंचायतों में 'शिक्षक संकुल' का चयन दिनांक 30 जून 2020 तक सुनिश्चित कराया जाये।

5- शासनादेश संख्या-123/68-5-2020, दिनांक 17 मार्च, 2020 को उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। उक्त शासनादेश दिनांक 17 मार्च, 2020 की शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया

(रेणुका कुमार) 23/6

अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0।
2- राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0।
3- जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
4- मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
5- शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
6- निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0।
7- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
8- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।
9- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
10- खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)

उप सचिव। 23.6.20